

पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 48 / 2026

1 राजेन्द्र उर्फ इन्द्राज उर्फ इन्द्रजीत पुत्र रामप्रताप जाति विश्णोई निवारी चक 9 केएसपी तहसील टिब्बी हाल आबाद सैक्टर नं0 03, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़।
वादी

बनाम


1 तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

डिक्री

प्रतिवादी
दिनांक.. 26/5/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री ए0एस0जोईया व प्रतिवादी राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक न0 9 केएसपी पटवार हल्का 9 केएसपी के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 55/60 में राजेन्द्र पुत्र रामप्रताप के स्थान पर इन्द्रजीत पुत्र रामप्रताप किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि वादी पर किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/5/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



26/5/26
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (राजस्व)
टिब्बी